सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in,   Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–568 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026,   दिनांक– 20–07–2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. – 132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के पत्र संख्या–1270 / सत्तर–1–2026 दिनांक 18 जुलाई, 2026 के क्रम में महिला कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या ई–3971163 / 60–3–2026–सी–2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. – 132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2025 में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दिये गये आदेश का मुख्य अंश (पत्र के साथ संलग्न) में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को ससमय उक्त कार्यवाही की सूचना से अवगत कराया जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक–   / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

संख्या-1270 /सत्तर-1-2026-

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक, उच्च शिक्षा**
   उ0प्र0 , प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त निजी/राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 18 जुलाई, 2026

विषयः- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

26. With an intent to further this change, we issue the following directions: - 1/1283343/2026 -0-3099/23/2026-महिला कल्याण अनुभाग-3-Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालायों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज-विरोधी कार्यशालाएं, कानूनी-अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 18-07-2026
17:13:47

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 को उनके पत्र सं-253/छः पु0-15/2026 दिनांक 18.07.2026 के संदर्भ में।
4- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को उनके पत्र उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2026 के क्रम में।

आज्ञा से

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

अति महत्वपूर्ण/कोर्ट केस

संख्या-ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617

प्रेषक,

लीना जौहरी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग।
उ0प्र0 शासन।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2026

विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-473/पी.एस.एम.एस./पी.एस.ओ/2025, दिनांक 22.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संर्दभ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये 4 सप्ताह के अन्तर्गत शपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

26.With an intent to further this change, we issue the following directions: -

(a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- विदित है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। यद्यपि उपरोक्त आदेश बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित होने के दृष्टिगत समीचीन होगा कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग के स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4- अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार करने का कष्ट करें तथा उक्त क्रम में लिये गये निर्णय से महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे शपथ-पत्र में उपरोक्त अनुपालन को भी शामिल किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 30-03-2026
14:37:23

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।